

कार्यालय,**उच्च शिक्षण परिषद,****उत्तर प्रदेश (बनारस)**

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

प्रकाशक दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय स्तर:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयी ऑन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक संव 2021-22 हेतु किम्बोसा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघनित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए संव 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुषंग में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 पर सक्षमता द्वारा संव 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1544-NEELAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, VILL. KORALI, TEHSIL KIROALI, NH-11, AGRA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 द्वारा संव 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक टंजीव पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्याप्त छात्र छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश पढाये होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जयता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पॉटे संव 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित एचके को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आवस्यी संव हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक: प्राविधिक शिक्षा, 3000, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों

कार्यालय,**उत्तर प्रदेश पाठ्यपुस्तक परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- पाठ्यपुस्तक/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारंगती काउन्सिल ऑफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत पाठ्यपुस्तक परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को पाठ्यपुस्तक परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1544-NEELAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सरथा उत्तर प्रदेश पाठ्यपुस्तक परिषद एक्ट 1962 तथा पाठ्यपुस्तक परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेन कर्षीय इन्जी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनाम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ सरथा को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, पाठ्यपुस्तक परिषद, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा पाठ्यपुस्तक परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों

कार्यालय.

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

सखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय गांव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमांक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सम्बद्धता को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1544-NEELAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आर.डी.सी.टी.ई.टी./ पी.सी.सी.आई.टी. द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/2022 टी.सी.डी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की ओर से विषय अंतराष्ट्रीय स्थापनाय में संश्लिष्ट रिट कायिका संख्या 6027/2023 में माननीय स्थापनाय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के अनुकूल संस्थान में अगस्त स्थापना (भूमि, शक्ति, जल उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकी 1992, विनियमनकी-2000, संशोधित विनियमनकी-2016 तथा समग्र-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही फॉर्मल उपर/उपरा से आप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपर/उपरा से शुल्क के सम्बन्ध में समग्र-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। बीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संवृद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निर्देशण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/आयनटेंडी/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०ब०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०ब० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०ब० द्वारा प्रत्येक वर्ष निषेध, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान को अद्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवीर क्वार्टरियल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संशुद्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विषय में यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा कदम उठाने के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति राशियों आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बचानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सड़कनट द्वारा पार्यटक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अद्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यवीर क्वार्टरियल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपरोक्त करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के सूत्राङ्क पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूर्ति भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, ज्ञान किया जाने वाला हुयक, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपरोक्त करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टैक्नीके के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ने कि संस्था में परामर्शदाता/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपरोक्त कार्य वर्षे अडिगरेण्ड, भूमि-अवन कमीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बन्धना समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बन्ध किया जाय) विनियमनवली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की आज्ञा पर अपने कार्यवाही, आदेशों और कमीयर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधीन ही रखेंगी।
- ✓ संस्था के अधिक तकनीकी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आर्इ०ओ०टी०ओ०वी०सी०आर्इ०ओ०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धना समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धना शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू०सं०- प्राविध/परिषद सम्बन्धना/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रावितिति:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NEELAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव